

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 379]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2013/श्रावण 8, 1935

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2013/SHRAVANA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 फरवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तृतीय संशोधन) विनियमावली. 2013

सा.का.नि. 515(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000–आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात,

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अन्सूची 3 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, अनुसूची 3 में,

(I) पैराग्राफ । में, उप-पैराग्राफ (i) में, से "और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित" शब्द हटा दिए जाएंगे।

- (II) पैराग्राफ । का उप-पैराग्राफ (vi) हटा दिया जाएगा ।
- (III) पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"2. रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना

पैराग्राफ । में वर्णित प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा का लिंक आफिस (संयोजक कार्यालय) रिज़र्व बैंक से यूनिक नंबर (Unique Code Number) प्राप्त करेगा। प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा का उक्त लिंक आफिस अपने पूरे बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों की ओर से किए गए पोर्टफोलियों निवेश योजनागत लेनदेनों को दैनिक आधार पर आन-लाइन रिपोर्ट फाइलिंग सिस्टम (ORFS) के जरिये प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को रिपोर्ट करेगा। अपने बैंक के लिए उक्त लिंक आफिस अनिवासी भारतीयों द्वारा होल्डिंग के बाबत रिपोर्ट तैयार करने और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत डाटा से उसका आविधिक मिलान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

(IV) मौजूदा पैराग्राफ 3 निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्थात:

"3. शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद और बिक्री संबंधी लेनदेनों हेतु किसी अनिवासी भारतीय द्वारा खाते रखना

कोई अनिवासी भारतीय इस योजना के अतर्गत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेनों की प्राप्ति और भुगतान के लिए उल्लिखित पैराग्राफ । में वर्णित किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामित शाखा में ढिवदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास खोले तथा रखे गएउ एनआरई/एनआरओ खाते का एक अलग उप-खाता खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेशों के लिए एनआरई (पीआईएस) खाता और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेशों के लिए एनआरई (पीआईएस) खाता खोला जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामित शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि पोर्ट फोलियो निवेश योजना (पीआईएस) से भिन्न तरीके यथा एडीआर/जीडीआर के परिवर्तन से अर्जित अंतर्निहित शेयरों, एफडीआई योजना के तहत अर्जित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों. भारत से बाहर अन्य अनिवासी भारतीयों से खरीदे गए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों, निवासियों/अनिवासियों से निजी व्यवस्था (प्राइवेट अरेंजमेंट) के तहत अर्जित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों, निवासियों/अनिवासियों से निजी व्यवस्था (प्राइवेट अरेंजमेंट) के तहत अर्जित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों, भारत में निवास करते समय खरीदे गए शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री से प्राप्त राशि, केवल इस योजना के अंतर्गत हुए लेनदेनों को करने के लिए खोले गए एनआरई/एनआरओ (पीआईएस) खाते में न तो जमा की जाएगी और न ही नामे की जाएगी।

(V) पैराग्राफ 3 के बाद, निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगा, अर्थात:

''4.अनुमत जमा/नामे

(ए) एनआरई (पीआईएस) खाते में अनुमत जमा/नामे

जमा

- (i) सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण;
- (ii) भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास रखे गए अनिवासी भारतीय के अन्य एनआरई खाते अथवा एफसीएनआर(बी) खाते से अंतरण;
- (iii) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर अर्जित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों, जिन्हें शेयर बाजार में पंजीकृत ब्रोकर के मार्फत बेचा गया हो, की निवल बिक्री गत आय (लागू करों को घटाकर); और
- (iv) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेशों पर अर्जित लाभांश अथवा आया

नामे

- (i) अर्जित लाभांश अथवा आय के जावक विप्रेषण;
- (ii) इस योजना के अंतर्गत किसी पंजीकृत ब्रोकर के मार्फत शेयर बाजार से प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीदे जाने वाले शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए अदा की जाने वाली राशि; और
- (iii) इस योजना के अंतर्गत शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री/खरीद के कारण देय प्रभार (चार्जस)।
- (बी) एनआरओ (पीआईएस) खाते में अनुमत जमा/से नामे

जमा

- (i) सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण ;
- (ii) भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास रखे गए अनिवासी भारतीय के अन्य एनआरई खाते अथवा एफसीएनआर(बी) खाते अथवा एनआरओ खाते से अंतरण;
- (iii) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर (अनिवासी भारतीय के विकल्प पर) तथा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अर्जित शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों, जिन्हें शेयर बाजार में पंजीकृत ब्रोकर के मार्फत बेचा गया हो, की निवल बिक्री गत आय (लागू करों को घटाकर); और
- (iv) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेशों पर अर्जित लाभाश अथवा आय।

नामे

- (i) अर्जित लाभांश अथवा आय का जावक विप्रेषण:
- (ii) पीआईएस के अंतर्गत किसी पंजीकृत ब्रोकर के मार्फत शेयर बाजार से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीदे जाने वाले शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए अदा की जाने वाली राशि: और
- (iii) पीआईएस के अंतर्गत शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री/खरीद के कारण देय प्रभार (चार्जेस) के लिए।"

[सं. फेमा. 261/2013-आर बी] रुद्र नारायण करं, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं 406 (अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

- 02.03.2001 के जीएसआर सं.158 (ई)
- 13.03.2001 के जीएसआर सं.175 (ई)
- 14.03.2001 के जीएसआर सं.182 (ई)
- 02.01.2002 के जीएसआर सं.4 (ई)
- 19.08.2002 के जीएसआर सं.574 (ई)
- 18.03.2003 के जीएसआर सं.223 (ई)
- 18.03.2003 के जीएसआर सं.225(ई)
- 22.07.2003 के जीएसआर सं.558 (ई)
- 23.10.2003 के जीएसआर सं.835 (ई)
- 22.11.2003 के जीएसआर सं.899 (ई)
- 07.01.2004 के जीएसआर सं.12 (ई)
- 23.04.2004 के जीएसआर सं.278 (ई)
- 16.07.2004 के जीएसआर सं.454 (ई)
- 21.09.2004 के जीएसआर सं.625 (ई)
- 08.12.2004 के जीएसआर सं.799 (ई)
- 01.04.2005 के जीएसआर सं.201 (ई)
- 01.04.2005 के जीएसआर सं.202 (ई)
- 25.07.2005 के जीएसआर सं.504 (ई)
- 25.07.2005 के जीएसआर सं.505 (ई)
- 29.07.2005 के जीएसआर सं.513 (ई)
- 22.12.2005 के जीएसआर सं.738 (ई)
- 19.01.2006 के जीएसआर सं.29 (ई)
- 11.07.2006 के जीएसआर सं.413 (ई)

- 14.11.2007 के जीएसआर सं.712 (ई)
- 14.11.2007 के जीएसआर सं.713 (ई)
- 29.11.2007 के जीएसआर सं.737 (ई)
- 05.08.2008 के जीएसआर सं.575 (ई)
- 30.12.2008 के जीएसआर सं.896 (ई)
- 01.12.2009 के जीएसआर सं.851 (ई)
- 21.04.2010 के जीएसआर सं.341 (ई)
- 03.08.2012 के जीएसआर सं,606 (ई)
- 30.10.2012 के जीएसआर सं,795 (ई)
- 30.10.2012 के जीएसआर सं.796 (ई)
- 30.10.2012 के जीएसआर सं.797 (ई)
- 01.11.2012 के जीएसआर सं.821(ई)
- 31.12.2012 के जीएसआर सं.945(ई)
- 31.12.2012 के जीएसआर सं.946(ई)

29:5:203 के जीएसआर सं244 (ई)

22.01.2013 के जीएसआर सं.38 (ई)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th February, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)) (Third Amendment) Regulations, 2013

GS.R. 515(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 3

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 3,

3336 41/13-2

- (I) in paragraph 1, in sub-paragraph (i), the words "and duly approved by the Reserve Bank of India" shall be deleted.
- (II) sub-paragraph (vi) of paragraph 1 shall be deleted.
- (III) for paragraph 2 the following shall be substituted, namely:

"2. Report to Reserve Bank

The link office of the designated branch of an authorized dealer referred to in paragraph 1 shall obtain a Unique Code number from the Reserve Bank. The said link office of the designated branch of an authorized dealer shall furnish to the Chief General Manager-in-Charge, Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai, a report on daily basis on PIS transactions undertaken on behalf of NRIs for their entire bank under the Online Report Filing System (ORFS). The said link office shall be responsible to ensure that the data submitted to the Reserve Bank is reconciled by periodically taking a NRI holding report for its bank."

(IV) The existing paragraph 3 shall be substituted by the following paragraph, namely:

"3. Maintenance of accounts by an NRI for routing transactions for purchase and sale of shares/convertible debentures

An NRI may open a separate sub-account of NRE/NRO account (opened and maintained by Authorised Dealer bank in terms of the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000) with a designated branch of an Authorized Dealer bank referred to in paragraph 1, for routing the receipt and payment for transactions relating to purchase and sale of shares /convertible debentures under this Scheme. NRE(PIS) account shall be opened for investment made on repatriation basis and NRO(PIS) account shall be opened for investment made on non-repatriation basis under the Scheme. The designated branch of an Authorised Dealer bank shall ensure that sale proceeds of shares / convertible debentures which have been acquired by modes other than Portfolio Investment Scheme such as underlying shares acquired on conversion of ADRs/GDRs, shares/ convertible debentures acquired under FDI Scheme, shares/ convertible debentures acquired under private arrangement from residents / non-residents, shares/ convertible

debentures purchased while resident in India, do not get credited/debited in the NRE(PIS)/NRO (PIS) account opened exclusively for routing transactions under this Scheme."

(V) After paragraph 3, the following shall be added, namely:

"4. Permitted Credits/ Debits

(A) Permitted Credits/ Debits in NRE (PIS) account

Credits

- (i) Inward remittances in foreign exchange though normal banking channels;
- (ii) Transfer from the NRI's other NRE accounts or FCNR (B) accounts maintained with Authorised Dealer in India;
- (iii) Net sale proceeds (after payment of applicable taxes) of shares / convertible debentures acquired on repatriation basis under the Scheme and sold on stock exchange through registered broker; and
- (iv) dividend or income earned on investment made on repatriation basis under the Scheme

Debits

- (i) Outward remittances of dividend or income earned;
- (ii) Amounts paid on account of purchase of shares and convertible debentures on repatriation basis on stock exchanges through registered broker under the Scheme; and
- (iii) Any charges on account of sale/ purchase of shares or convertible debentures under the Scheme.
- (B) Permitted Credits/ Debits in NRO(PIS) account

Credits

- (i) Inward remittances in foreign exchange though normal banking channels;
- (ii) Transfer from the NRI's other NRE accounts or FCNR (B) accounts or NRO accounts maintained with Authorised Dealer in India;

- Net sale proceeds (after payment of applicable taxes) of shares and (iii) convertible debentures acquired on repatriation basis (at the option of the NRI) and non-repatriation basis under the Scheme and sold on stock exchange through registered broker; and
- dividend or income earned on investment made on repatriation basis (v) under the Scheme

Debits

- Outward remittances of dividend or income earned
- Amounts paid on account of purchase of shares and convertible (ii) debentures on non- repatriation basis on stock exchanges through registered broker under PIS.
- (iii) Any charges on account of sale/ purchase of shares or convertible debentures under PIS.".

[No. FEMA. 261/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note :--

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R No. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under :-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03:2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G:S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005

G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012 G.S.R. No.796 E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 797 (E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 795 (E) dated 30.10.2012. G.S.R. No.821(E) dated 10.11.2012 G.S.R.No.945(E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 G.S.R.No. 394(E)dated 29.5.2013 G.S.R. No.38(E) dated 22.02.2013.